आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

16.2.19

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 256/2017–18

उमा देवी, पति–स्व0 किसुन मंडल, ग्राम–खैरखाँ, पो0–खैरखाँ, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया – आवेदक

बनाम

जय नारायण विश्वास, पिता–स्व0 राम प्रसाद विश्वास, ग्राम+पो0–खैरखाँ, अंचल+थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया – विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदिका उमा देवी, पति–स्व0 किसून मंडल, ग्राम–खैरखाँ, पो0–खैरखाँ, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया की ओर से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से निम्न विवरण की जमीन का दर्ज जमाबंदी सं0 7199 बनाम जय नारायण विश्वास को रद्द करने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.07.2017 को दाखिल किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2017 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। सूचनोपरांत विपक्षी अधिवक्ता शक्ति पत्र के साथ न्यायालय में उपस्थित तो हुए पर बार–बार मौका दिये जाने एवं अंतिम मौका दिये जाने के पश्चात् भी विपक्षी द्वारा न तो अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया गया और न ही सुनवाई में भाग लिया गया। तत्पश्चात् आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता की एक पक्षीय सुनवाई दिनांक 16.01.2019 को की गई।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
खैरखाँ थाना नं0 131	901	3484 3481	14 डी0 10 डी0 **कुल 24 डी0**	7199 बनाम जय नारायण विश्वास

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का खतियान सदानंद मंडल वो कुसमी देवी व मसो0 देवतिया के नाम से दर्ज है। मसो0 देवतिया निःसंतान मृत हुई। खयितानी रैयत सदानदं मंडल एवं कुसमी देवी से आवेदिका उमा देवी को प्रश्नगत खेसरा क्रमशः 3484 से रकवा 18 डी0 एवं खेसरा सं0 3481 से रकवा 24 डी0, कुल रकवा 42 डी0 बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 2186, दिनांक 01.04.1965 द्वारा क्रय उपरांत प्राप्त हैं। जिसका विधिवत नामान्तरण उपरांत जमाबंदी सं0 7074 दर्ज कराई गई और अद्यतन लगान रसीद प्राप्त करते आ रहें है।

विपक्षी जयनारायण विश्वास ने वादग्रस्त खेसरा से एक फर्जी केवाला सं0

5882, दिनांक 19.09.95 विक्रेता रामानंद मंडल, पिता–भुटाई मंडल से कुल रकवा 14 डी0 भूमि का निबंधन कराया और दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के कार्यालय में दाखिल किया, परन्तु उक्त केवाला का नामान्तरण नहीं हुआ। पुनः विपक्षी जय नारायण विश्वास ने रामानंद के स्थान पर सदानंद लिखकर फर्जी केवाला तैयार किया और खेसरा सं0 3484 एवं 3481 के कुल रकवा 14 डी0 के निचे 10 डी0 अंकित कर अंचल कर्मचारी को मेल में लेकर नामान्तरण वाद सं0 3585/8301 / 2013–14 द्वारा नामान्तरण कराकर जमाबंदी सं0 7199 कायम करा लिया गया है। जबकि उक्त केवाला जाली एवं स्वरचित है।

आवेदिका द्वारा अंचल कर्मचारी, मो0 हफीजउद्दीन अंसारी एवं प्रतिवादी (विपक्षी), जय नारायण विश्वास के विरूद्ध फर्जीवाड़ा करने के आरोप में I.P.C. की धारा 467, 468, 471 एवं 34 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मान्नीय न्यायालय, अररिया में फौजदारी मुकदमा सं0 826/2016 दर्ज कराया गया है। जिसमें आरोपियों के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र (वारण्ट) निर्गत है।

चूँकि आवेदिका का जमाबंदी यथावत है और विपक्षी को भी उक्त भूमि का फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी सं0 7199 दर्ज कर लगान रसीद निर्गत कर दिया गया है और लगान रसीद के आधार पर विपक्षी द्वारा आवेदिका की भूमि पर दखल करना चाहते है। अतः विपक्ष्ज्ञी के दर्ज जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

विपक्षी के सुनवाई में भाग नहीं लेने के कारण उनका पक्ष नहीं सुना जा सका।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का खतियान सदानंद मंडल व कुसमी देवी ई0 के नाम दर्ज है। आवेदिका उमा देवी द्वारा प्रश्नगत दोनों खेसरा से कुल रकवा 42 डी0 भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 2186, दिनांक 01.04.1965 द्वारा खतियानी रैयत से क्रय कर नामान्तरण उपरांत जमाबंदी सं0 7074 दर्ज कराकर लगान रसीद प्राप्त की है।

विपक्षी जयनारायण विश्वास ने उक्त दोनों खेसरा से कुल रकवा 14 डी0 भूमि का निबंधन दस्तावेज सं0 5882, दिनांक 19.09.95 द्वारा विक्रेता रामानंद मंडल, पिता–भुटाई मंडल से प्राप्त किया है। विक्रेता रामानंद मंडल का खयितानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। उक्त दस्तावेज का नामान्तरण जब विपक्षी के पक्ष में नहीं हुआ तो विपक्षी द्वारा उसी दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर 10 डी0 भूमि जोड़कर कुल 24 डी0 दर्ज करते हुए तथा विक्रेता रामानंद मंडल के स्थान पर सदानंद मंडल अंकित कर नामान्तरण वाद सं0 3585/8301 / 2013–14 द्वारा नामान्तरण कराकर जमाबंदी सं0 7199 दर्ज कराई गई। विपक्षी द्वारा किये गये उक्त फर्जीवाड़ा के विरूद्ध आवेदिका के पुत्र संजय मंडल, पिता–किसुन मंडल, सा0–खैरखाँ, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया द्वारा मुख्य

न्यायिक दण्डाधिकारी, अररिया के न्यायालय में मुकदमा सं0 826/सी0 2016 विपक्षीगणों के विरूद्ध दाखिल किया गया है, जिसमें विपक्षीगणों के जमानत आवेदन को A.B.P No. 1122/2018 द्वारा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया ने अपने आदेश दिनांक 14.09.2018 द्वारा खारिज किया गया है। जिसमं संबंधित राजस्व कर्मचारी मो0 हफीजउद्दीन भी शामिल है।

अतएव विपक्षी जयनारायण विश्वास के नाम प्रश्नगत भूमि खाता 901, खेसरा 3484 एवं 3481, रकवा क्रमशः 14 डी0 एवं 10 डी0, कुल 24 डी0 का जमाबंदी सं0 7199 को रद्द किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 41 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 16 / 02 /2019

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

16.2.19

अपर समाहर्त्ता,
अररिया